फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी–भूरी देवी

प्रतिवादी– रंगलाल व अन्य

केस संख्या : 275 / 2006 वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.6.2017	:–निर्णयः– आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी खसरा नंबर 1325 / मिन 1 रकबा 4 बिस्वा ग्राम चादमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी खसरा नंबर 1325 / मिन 1 रकबा 4 बिस्वा पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी ने वादी की आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं किया है। वादी मात्र प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने के लिये झूठे तथ्यो पर आधारित वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज फरमाया जावे। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात के पडौसी खातेदार है। पक्षकारान के मध्य विवाद न हो एवं मौके पर शांति बनी रहे इस कारण न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 1325 / मिन 1 रकबा 4 बिस्वा ग्राम चादमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में अनावश्यक दखलअंदाजी एवं कब्जा ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 21.6.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट चांदमाकलां में सुनाया गया।	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

भूरी देवी

बनाम

रंगलाल व अन्य

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 275/2006

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 1325/मिन 1 रकबा 4 बिस्वा ग्राम चादमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में अनावश्यक दखलअंदाजी एवं कब्जा ना तो स्वयं करे ना अन्य से करावे।

निज........मुबलिग............................दाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..फीसदी..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

दस्तखत................

ओहदा................ उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—nil—		फीस कमीश्नर	—nil—	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)